केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No.3/1/2018/Admin./CIC/ST/50222/1 **Dated: 8.05.2018**

[redacted]

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिंनाक २२.४.२०१८ का आवेदन इस अनुभाग में २२.४.२०१८ को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या **No.3/2/2018/Admin./CIC/ST/50222/1** के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके साथ संलग्न है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय आधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं ।

सविता 8/5/18
(सविता तलूजा)
अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी

OK

प्रति: ,केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL

09/05/18

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
09 MAY 2018
D. No.........
Initials.........

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली – 110067.

सं. 3/3/2018-CIC/Admn. दिनांक. 08.05.2018

विषय:- श्री चौ0 नारायण सिंह के दिनांक 22.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता ।

आपके पत्र सं. 3/2/2018/Admn/CIC/50222/1 दिनांक 07.05.2018 के संदर्भ में बिंदुवार वांछित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं.	सूचना
बिंदु सं. 1 से 3	अपेक्षित सूचना व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है तथा प्रकटन से व्यक्ति की एकांतता पर अतिक्रमण होगा । अत: यह सूचना आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती ।
बिंदु सं. 4 एवं 6	कोई भी टेस्ट नहीं लिया गया, केवल साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर भर्ती किया गया ।
बिंदु सं. 5	कंसलटेंट पद के लिए आवेदन किया था ।

08.05.18
(एस.पी.बेक)
संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) ।